कोर्ट फी COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी निग/3340/II/15

श्री भूपेन्द्र कुमार माहौर अभिभाषक द्वारा दिनांक 13-10-15 को प्रस्तुत

13-10-15 S.O

(S.K.Khare Adv)

(Bhupendra Mahour Adv)

श्रीमती आदर्श सक्सेना शपथ आयुक्त ग्वालियर

श्रीमती मुन्नीदेवी पुत्री स्व0 श्री बालाराम नायक पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी–कौछाभॉवर तहसील व जिला झॉसी (उ0प्र0) ....आवेदिका

बनाम

1– ओमप्रकाश
2– विजय
3– शशिभूषण
4– राकेश पुत्रगण स्व0 श्री बालाराम नायक निवासीगण – ग्राम निमचौनी तहसील– निवाडी, जिला– टीकमगढ

....अनावेदकगण/अपीलार्थीगण

5– श्रीमती सियादेवी पुत्री स्व0 श्री बालाराम नायक, पत्नी श्री केशवदास तिवारी, निवासी– बमनुआ, तहसील टहरौली, जिला– झॉसी उ0प्र0
6– श्रीमती ममता पुत्री स्व0 श्री बालाराम नायक, पत्नी श्री प्रदीप कुमार पाठक, निवासी– बबीना, तहसील व जिला झॉसी, उ0प्र0

.....अनावेदकगण/रेस्पोन्डेन्ट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 21/09/2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, निवाडी, जिला टीकमगढ (म0 प्र0) जो प्रकरण कमांक 49/अपील/.14–15 में पारित कर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा मर्यादा अधिनियम स्वीकार किया है । निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदिका की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, विवादित संपत्ति आवेदिका एवं अनावेदकगण के संयुक्त परिवार की पुष्तैनी संपत्ति है जिस पर श्रीमान् तहसीलदार महोदय निवाडी द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 01 पर दिनांक 05/09/2014 को नामान्तरण प्रमाणीकरण किया गया। तदानुसार आवेदिका एवं अनावेदकगण का नाम नामांतरण पंजी में विधिवत् इन्द्राज किया गया। नामांतरण पंजी निगरानी के साथ संलग्न की जाकर एनेक्जर ए/2 से चिन्हित किया गया है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3340–दो/15 **जिला** – टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.10.15	यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 49/अपील/14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.9.15 के विरूद्व राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है । विषयांकित आदेश द्वारा अपर आयुक्त द्वारा धारा–5 का आवेदन न्यायहित में मान्य किया गया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है । निगराकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रति का संदर्भ लेते हुये यह कहा गया कि गैर निगराकार ओमप्रकाश द्वारा जो धारा–5 का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगाया गया था, उसमें लिखे अनुसार उन्हें तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नामांतरण पंजी के नामांतरण दिनांक 5.9.14 की जानकारी 28.10.14 को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने 29.10.14 को नकल ली तथा 27.11.14 को धारा–5 का विषयांकित आवेदन लगाया । इस आवेदन में ओमप्रकाश द्वारा यह भी लिखा गया कि उनके रिश्तेदार की तबियत एकाएक खराब होने पर इलाज हेतु वे ग्वालियर रहे जिस दौरान उस रिस्तेदार का देहांत हो गया जिस वजह से वह समय सीमा में अपील प्रस्तुत नहीं कर सके । निगराकार अधिवक्ता द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि ओम प्रकाश ने रिश्तेदार जिसकी तबियत खराब हुई थी उसका नाम नहीं बताया, प्रत्येक दिन के विलंब का कारण नहीं बताया तथा उनके पक्षकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का भी खण्डन नहीं किया । मेरे द्वारा नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों का ~~का~~ परिशीलन	

नि. 3340/II/15 21.3.2016

किया गया । उपर बताये गये धारा–5 के आवेदन में यह भी लिखा है कि विषयांकित नामांकित प्रकिया में इश्तहार जारी नहीं हुआ, नामांतरण पंजी पर किसी भी ग्रामवासी चौकीदार के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा यह कि पटवारी द्वारा मनमाने तरीके से नामांतरण पंजी पर टीप अंकित की गई और तहसीलदार द्वारा बालाबाला तरीके से प्रमाणीकरण आदेश जारी किया गया, जिस सबके चलते नामांतरण की कार्यवाही में ओम प्रकाश को अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर नहीं मिला । इससे यह स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्पष्ट गुणदोष संबंधी आधारों का सहारा लेते हुये अपील की गई थी । साथ ही यह भी टीप किये जाने योग्य बिन्दु है कि नंकल प्राप्ति दिनांक 29.10.14 से धारा–5 के आवेदन दिनांक 27.11.14 में 29 दिन का अंतराल है जो कि [नियत म्याद से] ~~अ~~धिक नहीं हैं तथा जिस दौरान ओम प्रकाश द्वारा बीमार रिश्तेदार का इलाज उपरांत देहांत के कारण व्यस्त रहना भी लिखा गया है । इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण दिनांक 21.9.15 को अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया था एवं उसमें किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हुये थे । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी को यदि गुणदोष का महत्व ऐसा लगा हो कि वे उस पर विचार करने के लिये न्यायहित में (a) ~~विलंब क्षमा करना~~ सही समझते हों, तो [इस संबंध में न्यायपूर्ण निर्णय लेने का] ~~यह विकल्प एवं~~ अधिकार अनुविभागीय अधिकारी के पास हैं। हांलाकि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.9.15 अपने आप में एक बोलता हुआ आदेश नहीं है, किन्तु उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं यह मानता हूँ कि संभवतः उनके द्वारा न्यायहित में गुणदोष के महत्व तथा धारा–5 के आवेदन में उल्लेखित विभिन्न कारणों के दृष्टिगत, धारा–5 का आवेदन मान्य करने का निर्णय लिया गया है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर, अनुविभागीय अधिकारी

Margin note (a): अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पारित होने से उसकी जानकारी होने और प्रति मिलने के मध्य की अवधि को विलम्ब की अवधि ना मानते हुए, धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करना।

नि. 3340/II/15   दि 14.1.16

को यह निर्देश देते हुये कि भविष्य में वे अपने निर्णय कारणों को साथ दर्शाते हुये बोलते हुये निर्णय के स्वरूप में पारित करें, मैं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21.9.15 को धारा–5 के आवेदन को मान्य किये जाने के निर्णय से सहमत होते हुये, यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त करता हूँ । प्रकरण दाखिल दर्ज हो ।

सदस्य